



उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन संख्या - 8302 सन् 2026

अमर प्रताप

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादीगण

आवेदक के अधिवक्ता : ओंकार नाथ

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 07.08.2023 के आरोप पत्र, दिनांक 13.10.2023 के संज्ञान/समन आदेश तथा दिनांक 24.01.2025 के बी.डब्ल्यू. आदेश सहित सम्पूर्ण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कार्यवाही, वाद संख्या 53559 सन् 2023 (राज्य बनाम अमर प्रताप), जो कि अपराध संख्या 0083 सन् 2023, धारा 420, 406 भारतीय दंड संहिता, थाना- जसरा, जनपद फिरोजाबाद से उत्पन्न है तथा जो माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-II, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद के समक्ष लंबित है, को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह मुख्य आधार पर चुनौती दी गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2024 10 एससीसी 690 में प्रतिपादित विधि के अनुसार धारा 420 एवं 406 भारतीय दंड संहिता एक साथ नहीं चल सकती हैं। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश उद्धृत किया गया है।
4. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा वर्तमान आवेदन का विरोध किया गया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक स्थिति का खंडन करने में असमर्थ रहे।
5. चूँकि प्रस्तुत तर्क विधिक प्रश्न पर आधारित है, अतः प्रतिवादी संख्या-2 को नोटिस निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।
6. पक्षकारों को सुनने, अभिलेख के अवलोकन तथा दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) के निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि धारा 420 एवं 406 भारतीय दंड संहिता एक साथ आरोपित नहीं की जा सकती हैं, अतः दिनांक 13.10.2023 का संज्ञान/समन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। यद्यपि उक्त निर्णय बाद में पारित हुआ है, तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कनिष्क सिन्हा एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एवं अन्य [2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 443] में यह स्पष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सामान्यतः पूर्वलक्षी प्रभाव रखता है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

7. अतः दिनांक 13.10.2023 का संज्ञान/समन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण को पुनः संबंधित न्यायालय को प्रेषित किया जाता है, ताकि आवश्यक होने पर दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) के विधिक सिद्धांत के आलोक में नवीन आदेश पारित किया जा सके।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन आंशिक रूप से अनुमन्य किया जाता है।

(सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

दिनांक : 25 मार्च, 2026

विवेक कुमार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।